

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय / 19

जयपुर, दिनांक: 04.03.2021


:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है:-

क्र.सं.	नम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान
1.	श्रीमती रेखा मीणा, वरिष्ठ विधि अधिकारी	सहायक विधि परामर्शी, विधि वादकरण क्रिमिनल सैल, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी, औषधी नियंत्रण संगठन, चिकित्सा विभाग, जयपुर
2.	श्रीमती वन्दना मीणा, वरिष्ठ विधि अधिकारी	सहायक विधि परामर्शी, विधि वादकरण क्रिमिनल सैल, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी, पी.सी.पी. एन.डी.टी. अनुभाग, चिकित्सा विभाग, जयपुर
3.	श्री मनोज कुमार	कनिष्ठ विधि अधिकारी, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, विधि अनुभाग, जयपुर
4.	श्री चरण सिंह	कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशक, सम्पदा निदेशालय, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, विधि अनुभाग, जयपुर


नोट:- उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने नाम के सम्मुख अंकित विभागों में मंगलवार एवं गुरुवार को उपस्थित रह कर कार्य संपादित करेंगे।

आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अतिरिक्त कार्य के स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव